जिले में दस वर्षों में विस्फोट की कई घटनाएं, अवैध पटाखा निर्माण पर कार्रवाई को लेकर उठे सवाल

– अरविंद कुमार पांडेय –

सीवान ।जिले में पिछले दस वर्षों के दौरानपटाखानिर्माण,संदिग्धविस्फोटक सामग्री और आतिशबाजी से जुड़ी कई घटनाएंसामनेआईहैं ।इनहादसोंमेंलोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं ।23अक्टूबर2016से23अक्टूबर2026 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बड़हरियाप्रखंडकेआलमपुरगांवमेंपटाखा बनानेकेदौरानहुएताजाविस्फोटनेअवैध पटाखा निर्माण पर निगरानी और पूर्व की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं ।उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़रम गांव में वर्ष 2018 –19 में पटाखा निर्माण के दौरान विस्फोटऔरआगलगनेकीघटनाहुईथी। इसी गांव में 22 जनवरी 2026 को पटाखा बनानेकेदौरानहुएविस्फोटमेंमुर्तुजामंसूरी की मौत हो गई थी, जबकि परिवार के तीन सदस्य घायल हुए थे । इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और फॉरेंसिक जांच कराए जाने की जानकारी सामने आई थी। वही हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़कन गांव मेंथैलेमेंरखेसंदिग्धदेसीबमकेविस्फोट से विनोद मांझी और उनका दो वर्षीय पुत्र घायल हो गए थे ।इस मामले में प्राथमिकी दर्जकिएजानेऔरनमूनेजांचकेलिएभेजे गए थे ।नवंबर 2023 में हसनपुरा बाजार मेंपटाखेकीचिंगारीसेपेट्रोल–डीजलकी दुकान में आग लग गई थी। इस घटना में पांचदुकानेंजलगईथींऔरदमकलकर्मियों सहित18लोगझुलसगएथे ।अप्रैल2024 में जीबी नगर थाना क्षेत्र के खम्हौरी गांव मेंबारात के दौरान आतिशबाजी में सुतली बम लगने से एक युवक की मौत हो गई थी ।वहीं, मई2026मेंबड़हरियाथानाक्षेत्र के गौसिहाता गांव स्थित एक कोचिंग संस्थानमेंतेजधमाकेसेछतकाएस्बेस्टस टूट गया था और छात्राओं के बीच अफरातफरी मच गई थी। हालांकि, इस घटनामेंविस्फोटकेवास्तविककारणकी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है ।23 अक्टूबर 2026 को बड़हरिया प्रखंड के आलमपुरगांवमेंपटाखाबनानेकेदौरानहुए विस्फोट ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा मेंलादियाहै ।लगातारसामनेआरहीघटनाओं केमद्देनजरअवैधपटाखानिर्माणकेमामलों में पुलिस की पूर्व कार्रवाई, दर्ज प्राथमिकी, गिरफ्तारआरोपितोंकेविरुद्धकीगईकानूनी कार्रवाई और संबंधित क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्थाकीसमीक्षाआवश्यकहै ।साथही, विस्फोटकअधिनियमकेतहतदर्जमामलों औरफॉरेंसिकविज्ञानप्रयोगशालाकीरिपोर्ट की जांच से भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

अलमापुर विस्फोट के बाद सीवान में सख्ती पटाखा कारोबारियों के ठिकानों पर होगी सघन जांच

सीवान । बड़हरिया प्रखंड के जामो थाना क्षेत्र स्थित अलमापुर गांव में पटाखा निर्माण के दौरान हुए भीषण विस्फोट में पांच लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने 24 और 25 अक्टूबर को जिले भर में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है ।जिला जनसंपर्क शाखा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों को पटाखा निर्माण करने वालों तथा थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की पहचान कर सघन जांच करने को कहा गया है। जांच के दौरान वैध अनुज्ञप्ति की पड़ताल की जाएगी ।बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।प्रशासन ने पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग के संबंध में न्यायालयों के निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने की बात कही है। विज्ञप्ति के अनुसार, रात आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी और इस दौरान केवल हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा ।अभियान के दौरान जब्त किए गए अवैध बारूद और पटाखों को सुरक्षित तरीके से नष्ट कराया जाएगा ।प्रशासन ने रिहायशी इलाकों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है ।अलमापुर विस्फोट के बाद जिले में अवैध पटाखा कारोबार की व्यापक जांच की मांग उठ रही है। प्रशासन के इस अभियान से ऐसे कारोबार पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने दुकानदारों, आयोजकों और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने तथा त्योहारों के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखने की अपील की है।

अलमापुर विस्फोट कांड : पांच मौतों के बाद जागा प्रशासन वर्षों से चल रहे अवैध पटाखा कारोबार पर उठे सवाल

बड़हरिया (सीवान) । जामो थाना क्षेत्र का अलमापुर गांव 23 अक्टूबर को हुए भीषण विस्फोट के बाद चर्चा में है। आरोप है कि गांव में वर्षों से कई घरों में बारूद का भंडारण कर अवैध रूप से पटाखे बनाने और बेचने का कारोबार संचालित किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर इस कारोबार की जानकारी होने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद समय रहते इस पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह बड़ा सवाल बन गया है ।23 अक्टूबर की शाम अमरुद्दीन मियां के दो मंजिला आवासीय मकान में हुए भीषण विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अमरुद्दीन मियां, उनकी पोतियां मुस्कान सिद्दीकी (23) और खुशबू सिद्दीकी (13), नाती अरशद सिद्दीकी (8) तथा सदरपुर निवासी राजकुमार सिंह उर्फ भोला सिंह (35) शामिल बताए गए हैं। राजकुमार सिंह को पटाखा बनाने के काम के लिए बुलाए जाने की बात सामने आई है। हादसे के बाद गांव में अफरातफरी मच गई और इलाके में शोक का माहौल कायम हो गया ।स्थानीय लोगों के अनुसार, अलमापुर में विभिन्न अवसरों पर पटाखों की जरूरत पूरी करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से लोग सीधे गांव पहुंचते थे। मांग के अनुसार पटाखे तैयार किए जाते थे। अमरुद्दीन मियां सहित कुछ लोगों के नाम इस कारोबार में चर्चित होने की बात कही जा रही है। हालांकि, गांव के कितने घरों में यह गतिविधि संचालित थी और कहां–कहां बारूद का भंडारण किया जाता था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी ।घटना के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। मामले में लापरवाही के आरोपों के बीच थानेदार और चौकीदार के निलंबन की कार्रवाई भी सामने आई है। हालांकि, सवाल यह है कि यदि गांव में लंबे समय से अवैध पटाखा निर्माण और बारूद के भंडारण की गतिविधियां चल रही थीं, तो संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली और समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई ।स्थानीय स्तर पर इस पूरे मामले की व्यापक जांच कराने की मांग उठ रही है। मांग है कि गांव में अवैध रूप से पटाखे बनाने, बेचने और बारूद जमा करने के मामलों की निष्पक्ष जांच हो। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता या संबंधित अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए ।अलमापुर की घटना ने अवैध पटाखा निर्माण पर निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच केवल तत्कालीन कार्रवाई तक सीमित रहती है या वर्षों से चल रहे इस कथित अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क और जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सामने लाई जाती है।

दीपावली और छठ पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य,बिना अनुज्ञप्ति बिक्री पर लगेगी रोक

गोपालगंज। दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर पटाखों की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने तथा अग्निकांड और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति अनिवार्य कर दी है। अब निर्धारित नियमों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। बिना अनुज्ञप्ति पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ।जिला प्रशासन ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं हथुआ को इच्छुक पटाखा विक्रेताओं से आवेदन प्राप्त करने और नियमानुसार अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया है। दोनों अनुमंडलों के अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर निगरानी रखने तथा बिना अनुज्ञप्ति बिक्री नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही,जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों की जानकारी जिला शस्त्र दंडाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि बिक्री से संबंधित आवश्यक अभिलेख और प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन के अनुसार,दीपावली एवं छठ के दौरान पटाखों की बिक्री निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही की जा सकेगी। इस दौरान वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधित निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा मानकों और लागू नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा, लाखों का माल जब्त

हसनपुरा (सीवान) ।जिले में अवैध पटाखा निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हसनपुरा में एक कथित अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। इस दौरान लाखों रुपये मूल्य की सामग्री जब्त किए जाने की सूचना है। छापेमारी में भारी मात्रा में बारूद, निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखों सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। जिले में अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में अवैध रूप से पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई थी। इस घटना में कई लोगों की मौत होने की खबर सामने आई थी। हादसे के बाद प्रशासन ने जिले में अवैध पटाखा निर्माण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है।

पटाखा दुकानों की जांच,अवैध पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार

गोपालगंज। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अवैध पटाखों की बिक्री, भंडारण और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 24 अक्टूबर 2026 को हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में कटेया बाजार में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न दुकानों से अवैध रूप से रखे गए पटाखे जब्त किए गए। वहीं,अवैध पटाखा निर्माण के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ।जांच के दौरान कुमकुम श्रृंगार दुकान में श्रृंगार सामग्री और रेडीमेड कपड़ों के साथ अवैध रूप से पटाखों का भंडारण पाया गया। इसके अलावा दुल्हन श्रृंगार और दुन्ना रानी श्रृंगार प्रतिष्ठान में बिना अनुज्ञप्ति के खुदरा पटाखों की बिक्री की जा रही थी। प्रशासनिक टीम ने संबंधित दुकानों से पटाखे जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को सौंप दिए। मकान में छापेमारी, बारूद बरामद,प्रशासन को मिली सूचना के आधार पर गढ़ीमाता मंदिर के पास स्थित एक मकान में छापेमारी की गई। जांच के दौरान वहां अवैध रूप से पटाखा निर्माण किए जाने की पुष्टि हुई। मौके से कटेया निवासी मेराज मियां, पिता साकिर रंगरेज को पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान करीब एक किलोग्राम बारूद और पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई। जब्त सामग्री को संबंधित थाने को सौंप दिया गया तथा आरोपित को गिरफ्तार कर थाना भेज दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अग्निकांड व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अवैध पटाखों की बिक्री,भंडारण एवं निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बिहार सरकार

कार्यालय, नगर परिषद, जहानाबाद

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या

E-Tender -13 / 2026–27

(ई–टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद जहानाबाद
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : 22.10.2026
3. निविदा कागजात अपलोड करने की प्रारंभिक तिथि : दिनांक–20.11.2026 के 10:00 से
4. प्री बीड मीटिंग का समय, स्थान व तिथि : दिनांक–23.11.2026 समय– 11:00 बजे स्थान– नगरपरिषद् कार्यालय जहानाबाद।
5. निविदा कागजात अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय : दिनांक– 01.12.2026 के 16:00 बजे तक (on website www.eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड की तिथि व समय : दिनांक–02.12.2026 के 15:30 बजे के बाद (on website www.eproc2.bihar.gov.in)
7. कार्य का विवरण:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	Bid Processing Fee(Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्क्लूडिंग मॉनसून अवधि माह में)
1	वार्ड न0–01 में हनुमान स्थान मंदिर से उत्तर रोड तक पी0सी0सी0 निर्माण।	950261	19100	1250	Eproc 2.0 के अनुसार	01माह
2	वार्ड न0–01 में उपेन्द्र पासवान के मकान से होते हुए बब्लू पासवान के मकान तक नाली ढक्कन सहित पी0सी0सी0 निर्माण।	1483307	29700	1250	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
3	वार्ड न0–01 में भोला प्रसाद के घर से गोरैया स्थान तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	869870	17400	1250	Eproc 2.0 के अनुसार	01माह
4	वार्ड न0–01 में अनिल शर्मा के मकान होते हुए संजय शर्मा के मकान होते हुए दीप शर्मा के मकान तक नाली एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	2446026	49000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
5	वार्ड न0–02 में प्राथमिक विद्यालय महमदपुर में रोड तक पथ निर्माण।	2498110	50000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
6	वार्ड न0–03 में संजय निवास से राजु जी के मकान होते हुए मुख्य पथ तक सिपाही जी के मकान से शिवनाथ पासवान तक दारोगा जी से पंकज जी मकान विभिन्न गलियों में पथ एवं नाली निर्माण।	768734	15400	1250	Eproc 2.0 के अनुसार	01माह
7	वार्ड न0–03 में महेश पाल के मकान से साधु भगत के मकान से आगे तक एवं संजय पाल के मकान से होते हुए काली मंदिर रोड नाला तक भिन्न भिन्न गलियों में पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	1492790	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
8	वार्ड न0–03 शिक्षक कॉलनी नारायण आर्यन के मकान के आगे से मुख्य पथ तक आर0सी0सी0 एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	2377960	47600	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
9	वार्ड न0–03 में शिक्षक कॉलोनी मेन रोड बुटा शर्मा के मकान से अमित शर्मा एवं भिन्न–भिन्न गलियों में पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	1495090	30000	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
10	वार्ड न0–04 में सत्संग नगर में शिवनाथ शर्मा नाला के मकान से सनी कुमार अधियाना के मकान होते हुए नीलेश शर्मा नर्थी के मकान से पश्चिम सत्संग नगर मुख्य पथ आर0सी0सी0 नाला एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	2498087	50000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
11	वार्ड न0–04 में लालगंज दत्त नगर मेन नाला से कुमुद रंजन ओझा के मकान होते हुए नीरज मिश्रा के मकान के आगे तक पी0सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	1494296	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
12	वार्ड न0–04 शिवनगर बंगाली शर्मा के मकान से शिवेन्द्र शर्मा मेरा के मकान होते हुए अभय द्विवेदी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	2493572	49900	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
13	वार्ड न0–04 सत्संग नगर मुख्य पथ से अरवल जहानाबाद एन0एच0 तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य चौड़ाई 12 फीट।	1946577	39000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
14	वार्ड न0–05 में मुन्ना प्रसाद के मकान से राजु चौधरी के मकान तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1464166	29300	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
15	वार्ड न0–05 में गोपाल कुमार के मकान से विरान राम के मकान होते हुए जयराम सिंह के मकान तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण एवं नाली ढक्कन सहित।	881133	17700	1250	Eproc 2.0 के अनुसार	01माह
16	वार्ड न0–05 में राजदेव साव के मकान से गुप्ता जी के मकान तक नाली एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	1465669	29400	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
17	वार्ड न0–05 में राजु चौधरी के मकान से सत्यनारायण प्रसाद के मकान से बसंत पंडित के मकान तक नाली ढक्कन एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	1481778	29700	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
19	वार्ड न0–06 में विष्णुगंज प्रमोद सिंह के मकान से होते हुए अरविंद शर्मा एवं लालबाबु होते हुए बिरल शर्मा अलगाना नाला विजय सिंह तक पी0सी0सी0 नाला ढक्कन सहित।	2484069	49700	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
20	वार्ड न0–06 में प्रिंस आलम के मकान होते हुए जीतेन्द्र पंडित बैंक मियां होते हुए मुख्तारी मियां होते शिव कुमार पंडित विजेन्द्र प्रेस बिरल शर्मा देवी स्थान लक्ष्मण साव होते हुए हरिश नारायण शर्मा तक पी0सी0सी0 नाली एवं पथ निर्माण।	2421087	48500	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
21	वार्ड न0–07 में टेनी बिगहा में विनय यादव के घर के समीप से राजु कुमार के घर होते हुए श्याम कुमार उपाध्या के घर तक एवं मेन रोड से इन्होदय विद्यालय होते हुए अमित कुमार के घर तक नाली एवं पी0सी0सी0।	2399162	48000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
22	वार्ड न0–07 में मोहल्ला टेनी बिगहा में श्री सुदर्शन कुमार के घर से श्री रिपु कुमार और श्री अशोक कुमार के पास मेन रोड एवं श्री दिलेश्वर यादव के घर से मेन रोड तक नाली ढक्कन एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	2479263	49600	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
23	वार्ड न0–08 के रामशरण नगर में नीरज शर्मा के मकान से उत्तर की ओर ढक्कन सहित नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1496471	30000	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
24	वार्ड न0–08 में दरधा नदी के तरफ घाट पर आर0सी0सी0 हौदा निर्माण।	1480963	29700	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
25	वार्ड न0–09 में विजय यादव के मकान से कपिल यादव के मकान होते हुए प्रमोद साव के मकान तक नाली एवं पथ निर्माण।	1486292	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
26	वार्ड न0–09 में मौर्य नगर में कुमन राम के मकान से हरिद्वार सिंह के मकान होते हुए अक्षय सिंह के मकान तक नाली एवं पथ निर्माण।	1489700	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
27	वार्ड न0–09 में मनोज पत्रकार से मेन नाला तक एवं अनील रजक से कामेश्वर सिंह के मकान होते हुए अनिल सिंह के मकान तक नाली एवं पी0सी0सी0।	1977663	39600	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
28	वार्ड न0–09 में रामगढ़ शंकर पासवान से हरेन्द्र दास तक नाली ढक्कन एवं पथ निर्माण।	1262706	25300	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
29	वार्ड न0–09 में मुनमुन जी के मकान से मेन नाली रमेश कुमार शर्मा तक एवं वहां से दक्षिण मेन नाली सड़क एरोड्रम रोड सिपाही जी रवि के मकान तक दक्षिण कि ओर से दरधा नदी तक पूरब में 400 फिट नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1496972	30000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
30	वार्ड न0–11 में राजु केशरी से पश्चिम शांति कुंज स्कूल एवं उसके आगे तक आर0सी0सी0 नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1491168	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
31	वार्ड न0–11 में बैंक गली एवं अभिराम शर्मा के मकान से मेन रोड तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1487568	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
32	वार्ड न0–13 में पानी टंकी से लेकर अयुब मियां के मकान तक पक्की नाली एवं पथ निर्माण।	1491968	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
33	वार्ड न0–13 में डॉ0 मशहूर साहब के मकान के पीछे से इस्माईल मियां के मकान तक एवं मुन्ना मोबील तक नाली एवं पथ निर्माण।	1487485	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
34	वार्ड न0–32 में नूरी मस्जिद से बबन मियां के घर होते हुए नदी तक नाली एवं पथ निर्माण।	1491570	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
35	वार्ड न0–14 में मंटू यादव के घर से सौरव कुमार के घर तक नाली एवं पी0सी0सी0 मोदी लेन में एवं शक्ति नगर में देवी सिंह के घर से मुकेश शर्मा के घर तक पी0सी0सी0।	1493753	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
36	वार्ड न0–16 में नदीम के मकान से रामविलास के मकान तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1491883	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
37	वार्ड न0–32 में गोलबा चौक के मकान से लेकर नदी तक नाली ढक्कन निर्माण एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	1469497	29400	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
38	वार्ड न0–16 का योजना वार्ड न0–32 में मेन रोड से नसरुद्दीन के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एवं पथ निर्माण।	1493788	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
39	वार्ड न0–17 में दीपु के मकान से बाला जी किराना दुकान होते हुए उपेन्द्र इलेक्ट्रीक के मकान तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1488990	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
40	वार्ड न0–17 का योजना वार्ड न0–32 में छोटू जी के मकान से होते मोहि मियां के मकान होते हुए नदी तक आर0सी0सी0 नाली ढक्कन एवं पथ निर्माण।	1493399	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
41	वार्ड न0–17 का योजना वार्ड न0–32 में संत बाबू के मकान से लखन चौधरी के मकान से होते हुए महबुब मियां के मकान तक आर0सी0सी0 नाला ढक्कन एवं पथ निर्माण।	1490198	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
42	वार्ड न0–18 में ब्रजेश लाल से पटना गया मेन रोड तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	2445895	49000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
43	वार्ड न0–18 में नारायण साव के मिल के गली होते हुए इमामबाड़ा तक पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	1487895	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
44	वार्ड न0–19 दिलीप के दुकान से अरुण जी के घर भाया पंकज कुमार भाया अशोक सिंह भाया मेन रोड तक पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाला ढक्कन निर्माण।	1491600	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
45	वार्ड न0–20 में लाल बाबु के गली होते हुए नवीन रूम से नदी किनारे तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1495885	30000	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
46	वार्ड न0–20 में खान बहादुर रोड चौराहा से एम0एस स्कूल होते हुए पाठक टोली उमेश हार्डवेयर के मकान तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1489089	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
47	वार्ड न0–21 का योजना वार्ड न0–05 रंजन कुमार के घर के समीप से रंजीत कुमार तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	2472985	49500	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
48	वार्ड न0–22 में मध्य दास मानस विद्यालय के घर होते हुए जय सिन्हा के घर तक एवं पुतुल जी के घर होते हुए सुल्तान के घर तक एवं राजेन्द्र पुस्तकालय से लेकर आलोक सिन्हा के मकान तक एवं मुकुल जी के मकान से बुढ़वा महादेव मंदिर तक बलिराम पाठक के घर से दरधा नदी तक एवं भिन्न–भिन्न गलियों में नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	2357200	47200	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
49	वार्ड न0–22 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	2497418	50000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
50	वार्ड न0–23 में हरी साव लेन से कुटिया मंदिर तक पी0सी0सी0 निर्माण।	1498551	30000	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
51	वार्ड न0–24 का वार्ड न0–04 में संजय शर्मा के घर से ब्रजेश शर्मा के घर होते हुए राजीव शर्मा के घर तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	2498061	50000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
52	वार्ड न0–26 में लड्डू खान के मकान से मनौव्वर के मकान से बालकेशिया देवी के मकान, रजिया अजय राम तक नाली उड़ाही, पथ निर्माण एवं स्व0 धनक दास के मकान से आर0सी0सी0 नाली निर्माण, लाल बाबु दास के मकान तक नाली एवं पथ निर्माण।	1497800	30000	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
53	वार्ड न0–26 में भोला चौधरी के मकान से भट सर के घर होते हुए सोनु यादव के घर तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	2468352	49400	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
54	वार्ड न0–26 में राजेन्द्र यादव के मकान से होते हुए एन0एच0 83 तक और महेश चौधरी से बिक्कु के मकान तक रंजन यादव से एन0एच0 83 तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	2480081	49700	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
55	वार्ड न0–27 में धीरेन्द्र कुमार के मकान से मगध प्रेस एवं अन्य गलियों में आर0सी0सी0 नाली एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	2486678	49800	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
56	वार्ड न0–28 नगर परिषद् जहानाबाद के तहत एरकी टोला कम्युनिटी हॉल के पश्चिम से पटना गया बाइपास तक कवर के साथ आर0सी0सी0 ड्रेन का निर्माण।	2460462	49300	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
57	वार्ड न0–28 में अर्जुन दास के घर से भिखारी दास के घर तक एवं महेन्द्र मांझी के घर से अर्जुन दास के घर से बालदेव दास सुरेन्द्र दास के घर तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1497184	30000	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
58	वार्ड न0–29 में अखिलेश यादव वकिल के घर से रामविजय बाबु के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	2496996	50000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
59	वार्ड न0–30 रामप्रत पंडित के घर से रंजीत शर्मा के मकान तक नाला तथा कम स्लैब एवं सड़क से उमा देवी के घर तक नाली एवं स्लैब तथा पी0सी0सी0 एवं रविकांत के घर से संगम होते हुए सुरियारी के मकान से नदी तक नाली, स्लैब एवं पी0सी0सी0।	1488300	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
60	वार्ड न0–30 अश्विनी शर्मा के मकान से संगम के गेट तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण।	1493100	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
61	वार्ड न0–30 में खेल भवन के पश्चिमी छोर से रिंकु जी के गुमटी से मगध निकेतन तक तीन फिट चौड़ी नाला सहित पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	2471172	49500	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
62	वार्ड न0–31 में श्री कृष्ण गौशाला में शेड निर्माण, समरसेबुल, पनशाला एवं स्नानागार निर्माण कार्य।	2487352	49800	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
63	वार्ड न0–32 में सलाउद्दीन के मकान से नदी तक आर0सी0सी0 नाली ढक्कन एवं पथ निर्माण कार्य ।	1489196	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
64	वार्ड न0–32 में मो0 रहीम के मकान से इमामबारा तक एवं मोह मद सलीम के मकान से दक्षिण कि ओर मोह मद समीम तक नाली एवं पी0सी0सी0 ।	1481890	29700	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
65	वार्ड न0–32 में निशार के मकान से नदीम के मकान होते हुए गुलाम मियां के मकान तक नाली एवं पथ निर्माण।	1496065	30000	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
66	वार्ड न0–33 में सुरेन्द्र राम के घर से जवाहिर यादव के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण एवं जितेन्द्र ठाकुर के घर से महेश प्रसाद के घर होते हुए पईन तक ढक्कन सहित आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	2158394	43200	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
67	वार्ड न0–33 में रामप्रीत सर के मकान से बॉस के घर होते हुए गली नाली विजय राम के घर से लक्ष्मी राम के घर होते हुए मेन गली तक जयराम मिस्त्री के घर से मेन गली तक संजय शर्मा के घर मेन गली तक संजय राम के घर से मेन गली तक विजय राम के घर से भुवन राम के घर तक सुर्यकान्त राम के घर श्रवन राम के घर होते हुए स्व0 रामप्रवेश के घर तक लालबाबु के घर से मेन गली तक सुर्यकान्त कुशवाहा के घर से पानी टंकी तक पिंटु कुशवाहा से अखिलेश के घर तक अभय दांगी के घर से मेन गली तक बिन्दी सींह के घर से मेन गली तक आर0सी0सी0 नाली एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	2457800	49200	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
68	वार्ड न0–33 में मुटन के घर से उत्तर तरफ पईन तक से श्रीनन्द कुमार के घर से मेन गली तक ढक्कन सहीत आर0सी0सी0 नाली निर्माण तथा रामाकान्त सींह के घर से पक्की सड़क तक ढक्कन सहीत आर0सी0सी0 नाली निर्माण एवं नाली का पक्कीकरण कार्य।	1482000	29700	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
69	जहानाबाद शहर के वार्ड न0–10 में पी0सी0सी0 सड़कों और आर0सी0सी0 नालियों का निर्माण–जिनमें कालु राम से पंकज मांझी, पप्पू रजक से अलय मास्टर, रामप्रवेश पासवान से मोहन पासवान और अखिलेश सिपाही से शक्ति चौकी तक।	1491993	29900	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
70	वार्ड न0–10 में श्याम जी के घर से रामप्रवेश जी के घर तक पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण एवं कमलेश कुमार शिक्षक के घर होते हुए श्रीसीताराम यादव के घर तक पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	1498000	30000	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
71	वार्ड न0–03 में प्रमोद पासवान के मकान से दरधा नदी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण।	907670	18200	1250	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
72	वार्ड न0–02 में अजय दास के घर से श्री भगवान पंडित के घर होते हुए चन्द्रशेखर पंडित तक पथ निर्माण।	2084000	41700	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
73	वार्ड न0–13 में गुलाम अशरफ से जहीर मिस्त्री तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण एवं वार्ड न0–32 जाफरगंज मेन रोड में फैजान गोदरेज से गोपाल प्रसाद तक एवं गोपाल प्रसाद के मकान से चाँद के घर तक नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	1489567	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
74	वार्ड न0–01 में महेश प्रसाद मकान से रवि शर्मा के मकान होते हुए जितेन्द्र पंडित तक एवं भोला बिन्द के मकान से स्व0 शंकर के मकान तक एवं भिन्न –भिन्न गलियों तक पथ एवं नाली निर्माण।	2475787	49600	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
75	वार्ड न0–30 पुर्वी गांधी मैदान में कमलेश शर्मा (हाटी) के मकान से संतोष शर्मा के मकान होते हुए नारायणपुर विजय शर्मा के मकान तक नाली निर्माण ढक्कन सहीत पी0सी0सी0 कार्य।	1485593	29800	2500	Eproc 2.0 के अनुसार	01 माह
76	वार्ड न0–03 के गली न0–04 आशा देवी के मकान से धर्मेन्द्र जी के मकान तक पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	910600	18300	1250	Eproc 2.0 के अनुसार	01 माह
77	वार्ड न0–04 में सत्संग नगर में प्रद्युम्न शर्मा ग्राम झरवा के मकान से दिलीप शर्मा ग्राम अईयारा के मकान होते हुए कौशल शर्मा ग्राम बिसुनपुर के मकान तक आर0सी0सी0 नाला एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	2498051	50000	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
78	वार्ड न0–03 में दौलतपुर रोड से शांति निकेतन होते हुए राजेश गनौरी चौधरी तक आर0सी0सी0 नाली एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य एवं विभिन्न गलियों में कार्य।	2316645	46400	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
79	वार्ड न0–09 में भवानी सीमेंट दुकान से प्रकाश गुप्ता के मकान होते हुए कौशल कपुर के मकान एवं मनोज पत्रकार के खटाल तक आर0सी0सी0 नाली एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	2323767	46500	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह
80	वार्ड न0–03 बाबुलाल पासवान के मकान से राजीव कहार के घर होते हुए विशेश्वर शर्मा से गनौरी पासवान तक नाली एवं पथ निर्माण।	1824313	26500	5000	Eproc 2.0 के अनुसार	02 माह

नोट:–Bidders Should submit bid processing fee through online Payment as per amount generated on website https://eproc2.bihar.gov.in

8. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)

11. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट https://eproc2.bihar.gov.in अथवा में देखा जा सकता है।

For further details please visit website state.bihar.gov.in/prdbihar

PR- 014196 (B & C) 2026-27 नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् जहानाबाद।